झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला भू अर्जन शाखा)

दूरभाष सं० :–06432-232680 फैक्स :–06432-232967 ई–मेल :–deoghardlao@gmail.com

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के तहत् एस०आई०ए० प्रतिवेदन का सारांश

ज्ञापांक– IV-43/2017/939**/भू अ०** दिनांक–13/12/17

1. परियोजना का नाम :– **देवघर समाहरणालय से कुमैठा पथ निर्माण, जिला–देवघर।**
2. एस०आई०ए० करने वाले संस्थान का नाम :– **Shri Baidyanath Foundation, Deoghar**
3. परियोजना समन्वयक :– **श्री आर० के० सिंह एवं दल**
4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार एवं परियोजना क्षेत्र और एस० आई० ए० द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :–

क्र0 सं0	मौजा का नाम	थाना संख्या	अंचल	कुल रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1	रतनाडीह	205	देवघर	0.900
2	रतनपुर	248	देवघर	0.040
3	गोपालपुर	246	देवघर	0.115
4	चमारीडीह	249	मोहनपुर	1.310
			कुल योग–	**2.365**

5. एस०आई०ए० प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्त्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिय गये उपसंहार निम्न प्रकार है :–

- प्रस्तावित परियोजना पथ निर्माण से संबंधित है। उक्त परियोजना से लोगों के आवगमन में काफी सुविधा होगी, जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
- **देवघर समाहरणालय से कुमैठा पथ निर्माण, जिला–देवघर** से **53** परिवार के **226** सदस्य प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि पर लगभग **10** संरचना एवं **17** वृक्ष अवस्थित है, जिसके लिए समुचित मुआवजा का प्रावधान किया गया है।
- यह एक रेखीय परियोजना है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। सभी प्रभावित परिवारों की सभी आवश्यकताओं को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया हैं।
- प्रभावित परिवारों की आंशिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर माप योग्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है।
- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस०आई०ए०) अध्ययन प्रतिवेदन देवघर जिला के वेबसाईट **www.deoghar.nic.in** एवं जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में देखा जा सकता है।

13/12/17

उपायुक्त–सह–समाहर्त्ता,
देवघर।

ज्ञापांक 939/भू अ०, देवघर दिनांक–13 वीं, दिसम्बर, 2017 ई०।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

Rahul
13/12/17

उपायुक्त–सह–समाहर्त्ता,
देवघर।